भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 125
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत दावों का निपटान

***125. श्री हनुमान बेनीवालः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने किसानों का नामांकन किया गया;

(ख) राज्य-वार और राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों सहित जिला-वार कितने किसानों के दावों का निर्धारित समयावधि के भीतर निपटान नहीं किया गया;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावे के भुगतान में विलंब के कारण राज्य-वार कुल कितनी धनराशि के दावों की सूचना प्राप्त हुई है और दावों के निपटान में राज्य-वार औसतन कितना समय लगा है;

(घ) क्या सरकार को प्रीमियम का भुगतान करने अथवा पात्र होने के बावजूद कवरेज के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई और उनका समाधान किया गया; और

(ङ) क्या भुगतान में विलंब अथवा अस्वीकृति के लिए बीमा कंपनियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत दावों का निपटान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 125 के भाग (क) से (ङ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान, 4,992.79 लाख किसान आवेदनों का नामांकन किया गया है। इसी अवधि के दौरान संपूर्ण देश में 1,423.22 लाख किसान आवेदनों को 86,306.61 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, 5,405.2 करोड़ रुपये (5.9%) का भुगतान किया जाना है|

इन दावों के लंबित रहने के प्रमुख कारण हैं (क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान करने के बाद किया जाता है।

खरीफ 2023 से खरीफ 2024 के दौरान, राज्यों द्वारा उपज की रिपोर्टिंग/राज्य द्वारा फसल नुकसान की अधिसूचना या किसानों द्वारा सूचना देने के 30 दिनों के भीतर लगभग 69% दावों का निपटान किया गया है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान नामांकित किसान आवेदनों और लाभान्वित किसान आवेदनों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। दिनांक 30.06.2025 तक वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का संचीय राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान राजस्थान (पूर्ववर्ती नागौर जिला सहित) के लिए रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का जिलावार विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

(घ): चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों के समाधान के लिए योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशानिर्देशों में यथा-उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 आरंभ किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/ग्रिवंसेस उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

अब तक, KRPH पर 92.13 लाख कॉल्स अटेंड किए गए हैं, उनमें से 62.36 लाख किसानों की शिकायतें/ग्रिवेंसेस थे, जिनमें 62 लाख (99.43%) शिकायतों/ ग्रिवेंसेस का KRPH पर समाधान किया जा चुका है।

इसी प्रकार, राजस्थान में अब तक KRPH पर किसानों की 8,75,684 शिकायतें/ ग्रिवेंसेस दर्ज किए गए, जिनमें से 8,71,868 (99.6%) शिकायतों/ ग्रिवेंसेस का KRPH पर समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा, अप्रैल, 2024 से अब तक राजस्थान के संबंध में सेन्ट्रल पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस्सल एवं मोनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) पर 170 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 168 शिकायतों का समाधान योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जा चुका है।

(ङ): यदि बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन से लगाया जा रहा है|

अनुबंध - I

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 24 तक) तक राज्यवार नामांकित किसान आवेदन और लाभान्वित किसान आवेदन										
राज्य	बीमित किसान आवेदन (संख्या में)					लाभान्वित किसान आवेदन (संख्या में)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान एवं निकोबार	339	503	171	187	150	-	-	7	86	39
आंध्र प्रदेश		-	1,23,87,364	1,31,29,912	85,43,555		-	6,29,229	-	-
असम	16,54,293	9,78,243	4,89,981	7,93,506	7,61,951	3,06,903	2,93,265	26,240	99,561	20,817
छत्तीसगढ़	51,58,362	58,38,755	77,30,456	81,25,985	67,56,016	18,02,988	27,29,951	15,31,966	15,00,347	2,50,598
गोवा	84	64	403	234	216	-	-	5	2	64
हरियाणा	16,50,558	14,52,842	14,51,535	1,02,67,729	94,27,621	4,63,902	6,45,202	7,52,993	25,15,329	17,24,053
हिमाचल प्रदेश	2,40,700	2,33,721	2,67,618	2,78,055	1,09,605	1,65,498	1,16,583	1,39,516	1,07,964	31,257
जम्मू एवं कश्मीर		90,834	91,582	2,45,757	1,47,346		34,140	17,903	73,579	72,354
झारखंड					25,48,512					31,825
कर्नाटक	18,06,952	19,34,442	27,18,915	30,77,232	30,48,823	8,01,362	11,80,532	18,40,873	23,60,145	10,25,637
केरल	76,317	98,509	1,46,546	1,74,102	92,743	60,353	89,732	1,30,053	28,695	-
मध्य प्रदेश	84,39,890	92,64,214	1,77,32,045	1,77,95,826	97,17,150	50,44,071	42,83,249	36,88,740	39,43,417	32,64,868
महाराष्ट्र	1,23,97,895	99,02,581	1,07,33,625	2,41,73,494	1,64,14,758	16,89,499	66,64,795	76,44,275	1,32,27,119	73,92,889
मणिपुर	-	2,807	4,066	5,073	4,619	-	1,989	3,395	4,170	-
मेघालय	130	-	337	38,569	47,749	121	-	68	14,398	18,952
ओडिशा	97,52,448	81,72,952	80,20,747	1,41,60,653	1,37,81,469	17,13,945	29,70,441	17,83,312	11,49,287	7,30,087
पुदुचेरी	11,268	34,293	38,274	42,344	8,781	329	12,168	7,263	5,846	5,857
राजस्थान	1,07,59,587	3,44,53,784	3,90,71,541	3,90,16,977	2,15,31,458	25,06,058	1,18,89,993	1,16,18,304	83,11,462	27,20,571
सिक्किम	85	2,346	5,025	3,104	489	6	-	-	23	-
तमिलनाडु	58,87,626	59,11,015	61,37,961	54,56,594	3,15,826	39,99,367	22,72,586	19,37,875	17,00,553	1,48,721
तेलंगाना	-					-				
त्रिपुरा	2,57,220	3,35,504	3,56,201	3,65,378	8,231	37,120	43,836	20,515	10,905	3,554
उत्तर प्रदेश	41,90,556	40,68,701	42,83,991	60,68,754	50,72,290	6,36,141	10,36,784	12,51,998	11,84,713	14,41,310
उत्तराखंड	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,27,291	1,28,244	1,04,762	1,16,176	1,99,847	1,71,124	92,045
पश्चिम बंगाल				-					-	
सकल कुल	**6,24,55,122**	**8,29,58,872**	**11,19,50,452**	**14,34,46,756**	**9,84,67,602**	**1,93,32,425**	**3,43,81,422**	**3,32,24,377**	**3,64,08,725**	**1,89,75,498**

अनुबंध II

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (खरीफ 24 तक) राज्यवार रिपोर्ट किए गए, भुगतान किए गए और लंबित दावे (करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समेकित			कारण
	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.02	0.03	
आंध्र प्रदेश	3,138.80	-	2,592.07	सब्सिडी में राज्य का हिस्सा और किसानों का प्रीमियम हिस्सा राज्य सरकार से लंबित है
असम	557.12	531.51	25.61	
छत्तीसगढ़	3,558.22	3,554.19	4.04	
गोवा	0.01	0.01	0.00	
हरियाणा	5,921.08	5,858.83	62.25	
हिमाचल प्रदेश	369.71	362.51	7.20	
जम्मू एवं कश्मीर	119.21	116.92	2.29	
झारखंड	20.64	-	20.64	राज्य सरकार द्वारा बीमित क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है
कर्नाटक	9,536.91	9,513.35	23.56	
केरल	461.26	460.58	0.69	
मध्य प्रदेश	13,688.21	12,380.21	1,308.00	
महाराष्ट्र	24,912.02	24,588.57	323.46	
मणिपुर	5.10	5.08	0.03	
मेघालय	24.30	23.61	0.68	
ओडिशा	2,556.29	2,541.31	14.98	
पुदुचेरी	10.96	8.49	2.48	
राजस्थान	17,421.93	16,474.21	947.72	
सिक्किम	0.03	0.02	0.01	
तमिलनाडु	5,225.14	5,207.59	17.56	
तेलंगाना	-	-	-	
त्रिपुरा	9.87	9.57	0.29	
उत्तर प्रदेश	3,208.86	3,157.58	51.27	
उत्तराखंड	966.13	965.74	0.39	
कुल	**91711.85**	**86306.61**	**5405.24**	

अनुबंध-III

PMFBY और RWBCIS: राजस्थान में वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) तक 30 जून 2025 तक रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का जिला-वार विवरण (आंकड़े करोड़ रुपये में)

जिला	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
अजमेर	535.82	417.76	118.06
अलवर	46.75	39.66	7.08
बांसवाड़ा	20.51	18.99	1.52
बारां	278.51	278.40	0.11
बाड़मेर	984.80	976.10	8.70
भरतपुर	57.80	44.74	13.06
भीलवाड़ा	374.90	344.17	30.73
बीकानेर	1,143.07	1,122.36	20.71
बूंदी	318.61	308.60	10.02
चित्तौड़गढ़	393.77	386.32	7.45
चुरु	2,415.36	2,412.05	3.31
दौंसा	18.64	14.92	3.72
धौलपुर	3.95	2.99	0.96
डूंगरपुर	35.75	35.13	0.63
हनुमानगढ़	2,527.89	2,501.95	25.94
जयपुर	533.37	416.97	116.40
जैसलमेर	577.77	539.87	37.90
जालौर	1,404.04	1,397.08	6.96
झालवाड़	597.09	585.75	11.34
झुन्झुनु	474.76	459.90	14.87
जोधपुर	1,253.98	1,117.46	136.53
करौली	7.58	6.81	0.77
कोटा	143.69	128.70	15.00
नागौर	**965.44**	**838.65**	**126.79**
पाली	309.99	267.47	42.51
प्रतापगढ़	120.23	112.51	7.73
राजसमन्द	7.68	7.00	0.69
सवाई माधोपुर	88.25	64.37	23.88
सीकर	400.98	377.25	23.73
सिरोही	52.37	46.03	6.35
श्री गंगानगर	881.92	826.59	55.33
टोंक	356.03	287.90	68.14
उदयपुर	90.60	89.77	0.83
राजस्थान कुल	**17,421.93**	**16,474.21**	**947.72**

****